अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

4.1 राजस्व

4.1.1 बकाया गृह कर

निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण 11 शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के कारण ₹ 4.04 करोड़ का राजस्व बकाया रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 शहरी स्थानीय निकायों में अप्रैल 2013 तक ₹ 4.34 करोड़ का गृहकर बकाया था। 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 4.13 करोड़ के गृहकर की मांग उठाई गई थी **(परिशिष्ट-13)** तथापि उक्त अवधि के दौरान मात्र ₹ 4.43 करोड़ का संग्रहण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 4.04 करोड़ बकाया शेष रहा। वसूली की प्रक्रिया धीमी थी और चालू मांग की भी वसूली नहीं की गई थी। गृहकर की वसूली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 4.04 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई जिसे अन्य विकासशील गतिविधियों पर उपयोग में लाया जा सकता था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2014-फरवरी 2015) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा वसूली के लिए प्रयास किये जाएंगे।

4.1.2 किराये की वसूली न होना

तेरह शहरी स्थानीय निकाय आवंटितियों से ₹ 1.86 करोड़ की राशि का दुकानों/बूथों/स्टालों का किराया वसूल करने में विफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगर पालिका को देय है तथा उक्त देयता के पंद्रह दिनों बाद तक भुगतान हेतु देय रहती है तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को मांग नोटिस दे सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

यह देखने में आया कि 13 शहरी स्थानीय निकायों में इन शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली दुकानों/स्टॉलों के आवंटितियों के प्रति ₹ 1.70 करोड़ की राशि के किराया प्रभार अप्रैल 2013 **(परिशिष्ट-14)** तक वसूली हेतु लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान इन दुकानों/स्टॉलों के किरायेदारों/पट्टाधारियों से ₹ 0.94 करोड़ की मांग की गई थी। ₹ 2.64 करोड़ की कुल मांग में से मार्च 2014 तक केवल ₹ 0.78 करोड़ वसूल किये गए थे तथा ₹ 1.86 करोड़ की बकाया वसूली नहीं की गई। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बताया गया (सितम्बर 2014-फरवरी 2015) कि चूककर्त्ताओं को मांग नोटिस जारी किये जा चुके थे तथा राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी।

4.1.3 मोबाइल टॉवरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टॉवरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 18.14 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल संप्रेषण टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टॉवर की दर पर शुल्क तथा ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क उद्ग्रहीत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया।

सात शहरी स्थानीय निकायों में 2006-14 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गये थे परन्तु सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 106 टॉवरों के सम्बंध में मार्च 2014 तक ₹ 18.14 लाख[11] के प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (सितम्बर 2014 से फरवरी 2015) कि बकायों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

4.1.4 विद्युत उपकर की वसूली न होना

नगर परिषद बद्दी ₹ 29.18 लाख राशि का विद्युत कर लगाने में विफल रही।

राज्य सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के भीतर रहने वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रति इकाई विद्युत खपत पर एक पैसा की दर पर कर संग्रहीत करने हेतु नगर परिषदों को प्राधिकृत किया है (अप्रैल 2002)।

नगर परिषद बद्दी के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान नगर परिषद बद्दी क्षेत्र में विद्युत का उपभोग 29,18,28,201 इकाइयां थी तथा इस पर ₹ 29.18 लाख के कर की गणना की गई थी। तथापि, नगर परिषद ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से इसकी वसूली नहीं की थी जिसने उपभोक्ताओं से इसका संग्रहण करना था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कर की शीघ्र वसूली हेतु प्रयास किये जाएंगे।

4.2 निधियों का अवरोधन

4.2.1 उपलब्ध निधियों को उपयोग में न लाया जाना

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि नगर निगम शिमला, दो नगर परिषदों तथा तीन नगर पंचायतों में 2001-14 के दौरान 48 विकास कार्यों हेतु ₹ 2.19 करोड़[12] राशि की निधियां उपलब्ध थी। तथापि, मार्च 2014 तक निर्माण कार्यों के निष्पादन पर इन निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया था। अत: विकास कार्यों के लिए निधियों का उपयोग न किये जाने के परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभार्थी विकास कार्यों के लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2014-फरवरी 2015) कि निर्माण कार्य भू-विवादों, संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने तथा तकनीकी स्टॉफ की कमी के कारण आरम्भ नहीं किये जा सके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्राप्त करने तथा निधीयन अभिकरणों से निधियां अवमुक्त करने से पहले ही निपटा लिये जाने चाहिए थे।

4.2.2. पार्किंग का निर्माण न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्थलों पर पार्किंग सुविधाएं सृजित करते हुए एकीकृत पर्यटन विकास स्थल के अंतर्गत डल्हौजी, जिला चम्बा में पार्किंग निर्माण हेतु ₹ 86.87 लाख संस्वीकृत (2012-13) किये। तदनुसार जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चम्बा द्वारा ₹ 43.44 लाख की पहली किस्त नगर परिषद डल्हौजी को अवमुक्त की गई थी (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण नवम्बर 2014 तक नगर परिषद डल्हौजी द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया था। अत: नगर परिषद डल्हौजी द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 43.44 लाख का अवरोधन हुआ तथा जनता को अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2014) कि पार्किंग निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है और तदनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद डल्हौजी डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहा।

---

11 नगर निगम शिमला: ₹ 12.07 लाख, नगर परिषद डल्हौजी: ₹ 1.25 लाख, घुमारवीं: ₹ 0.5 लाख, धर्मशाला:₹ 2.35 लाख, परवाणू: ₹ 0.88 लाख, नगर पंचायत: ऊना: ₹ 0.64 लाख, जुब्बल: ₹ 0.45 लाख

12 नगर निगम शिमला: ₹ 86.52 लाख, नगर परिषद घुमारवीं: ₹ 85.78 लाख, नगर परिषद परवाणू: ₹ 4.00 लाख, नगर पंचायत अर्की: ₹ 10.10 लाख, नगर पंचायत चौपाल: ₹ 2.10 लाख तथा नगर पंचायत चुवाड़ी: ₹ 30.29 लाख

4.3 परिचालक की दायिता को सुनिश्चित न किया जाना

नगर निगम शिमला ने ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के परिचालक की ₹ 5.00 करोड़ की दायिता परियोजना जन दायिता बीमा अधिनियम, 1991 द्वारा सुनिश्चित नहीं की थी।

पालिका क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नगर निगम शिमला तथा एक फर्म के मध्य एक रियायत करार किया गया था (जुलाई 2010)। करार के खण्ड संख्या 5.9(एम) के अनुसार रियायती को जन दायिता बीमा अधिनियम, 1991 के अनुसार रियायत करार की सम्पूर्ण अवधि (20 वर्ष) तथा बंद होने की उत्तरवर्ती अवधि हेतु न्यूनतम ₹ 5.00 करोड़ के लिये जन दायिता बीमा बनाए रखना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायती ने करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार फरवरी 2015 तक जन दायिता बीमा शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप रियायती को अनुचित लाभ मिला।

4.4 जाली प्रयुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

नगर परिषद परवाणू द्वारा निदेशक, शहरी विकास, शिमला को ₹ 3.27 करोड़ के लिए प्रयुक्ति प्रमाण पत्र बिना इसकी वास्तविक प्रयुक्ति के गलत जारी किये गये थे।

परवाणू स्थित जलापूर्ति स्कीम के सुधार हेतु एक परियोजना लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत ₹ 7.27 करोड़ में संस्वीकृत की गई थी (नवम्बर 2013)। ₹ 3.27 करोड़ की पहली किस्त इस शर्त के साथ अवमुक्त की गई थी (अप्रैल 2014) कि इन निधियों हेतु एक पृथक् लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा तथा सभी संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं के पूर्ण किये जाने के बाद इसकी प्रयुक्ति की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नगर परिषद परवाणू ने कार्यकारी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास अभिकरण को निधियां अवमुक्त कीं (अप्रैल 2014) तथा उसने निदेशक, शहरी विकास, शिमला को ₹ 3.27 करोड़ का प्रयुक्ति प्रमाण पत्र कोई व्यय न किए जाने के तथ्य के बावजूद भी प्रस्तुत किया था (जनवरी 2015)। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2015) कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा प्रयुक्ति प्रमाण पत्र अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद अनुदान का उपयोग करने में विफल रही थी तथा प्रयुक्ति प्रमाण पत्र अनियमित रूप से प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2016 में सरकार को प्रेषित किए गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2016)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: